NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 02-03-2026

विषय सूची

बाज़ार हेरफेर करने वालों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

सोलहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंध में व्यक्त की गई चिंताएँ

अमेरिका-इज़राइल-ईरान युद्ध

संबद्ध क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण एवं बाज़ार अभिगम के सशक्तीकरण

मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ

वैश्विक स्वास्थ्य महाशक्ति के रूप में भारत का रूपांतरण

प्रधानमंत्री द्वारा भारत के प्रथम सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन

संक्षिप्त समाचार

श्री गुरु तेग बहादुर

नियंत्रक महालेखाकार

मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति (CCS)

नारियल प्रोत्साहन योजना

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने मनाया 25वाँ स्थापना दिवस

चावल सुदृढ़ीकरण योजना निलंबित

बाज़ार हेरफेर करने वालों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

संदर्भ

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके बाज़ार हेरफेर करने वालों और साइबर धोखाधड़ी करने वालों पर निगरानी और प्रवर्तन को सुदृढ़ करेगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

- यह भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाज़ार का नियामक प्राधिकरण है।
- इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 के सेबी अधिनियम के माध्यम से इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है।
- **उद्देश्य:**
  - प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
  - प्रतिभूति बाज़ार के विकास को प्रोत्साहित करना।
  - भारत में प्रतिभूति बाज़ार का विनियमन करना।
- **संरचना:**
  - एक अध्यक्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त)।
  - वित्त मंत्रालय से दो सदस्य।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से एक सदस्य।
  - पाँच अन्य सदस्य (जिनमें कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य हों)।

सेबी की शक्तियाँ

- **अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ:** धोखाधड़ी और अनैतिक प्रथाओं के मामलों में सेबी निर्णय दे सकता है।
  - इससे बाज़ार में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
- **अर्ध-कार्यकारी शक्तियाँ:** सेबी खातों की पुस्तकों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की जाँच कर सकता है। उल्लंघन पाए जाने पर नियम लागू कर सकता है, निर्णय दे सकता है और कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
- **अर्ध-विधायी शक्तियाँ:** निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु नियम और विनियम बनाने का अधिकार।
  - इसमें सूचीबद्धता दायित्व, इनसाइडर ट्रेडिंग नियम और आवश्यक प्रकटीकरण शामिल हैं।

सेबी के समक्ष चुनौतियाँ

- **बाज़ार की बढ़ती जटिलता:** डेरिवेटिव्स, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग (HFT) और जटिल वित्तीय उपकरणों का विकास।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग और बाज़ार हेरफेर:** एन्क्रिप्टेड संचार और ऑफशोर खातों के माध्यम से इनसाइडर ट्रेडिंग का पता लगाना कठिन।
- **डिजिटल एवं उभरती परिसंपत्तियों का विनियमन:** क्रिप्टो-परिसंपत्तियों, फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल निवेश परामर्श सेवाओं में नियामक अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट।
- **अत्यधिक बोझिल प्रवर्तन तंत्र:** लंबित जाँच और निर्णय मामलों की बड़ी संख्या।
  - अपीलों के कारण कानूनी कार्यवाही में विलंब।
- **विनियमन और बाज़ार विकास का संतुलन:** अत्यधिक विनियमन नवाचार और निवेश को हतोत्साहित कर सकता है, जबकि अपर्याप्त विनियमन निवेशकों को धोखाधड़ी एवं प्रणालीगत जोखिमों के प्रति असुरक्षित बना सकता है।
- **प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा जोखिम:** स्टॉक एक्सचेंजों और मध्यस्थों पर साइबर हमलों का खतरा। निगरानी प्रणालियों का निरंतर उन्नयन आवश्यक।

सेबी द्वारा उठाए गए कदम

- **बाज़ार निगरानी को सुदृढ़ करना:** एकीकृत बाज़ार निगरानी प्रणाली (IMSS) की शुरुआत।
  - AI और डेटा विश्लेषण का उपयोग कर इनसाइडर ट्रेडिंग और मूल्य हेरफेर का पता लगाना।
  - एल्गोरिथमिक और उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग (HFT) के लिए कठोर मानदंड।
  - कठोर दंड एवं निपटान तंत्र।

- **सेबी चेक(SEBI Check) का विकास:** यह UPI इंटरफ़ेस में एक उपकरण है जो निवेशकों को भुगतान से पहले पंजीकृत मध्यस्थों की पहचान करने में सहायता करता है।
  - इससे धोखाधड़ी करने वाले दलालों और व्यापारियों पर अंकुश लगेगा।
- **कॉरपोरेट प्रशासन सुधार:** उदय कोटक समिति (2017) की सिफारिशों का कार्यान्वयन। इसमें बोर्ड संरचना, स्वतंत्रता, संबंधित पक्ष लेनदेन और ऑडिटिंग सुधार शामिल हैं।
- **बाज़ार मध्यस्थों का विनियमन:** दलालों, म्यूचुअल फंडों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए कठोर पंजीकरण और अनुपालन आवश्यकताएँ।
- **निवेशक संरक्षण उपाय:** निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष (IPEF) की स्थापना।
  - SCORES (SEBI शिकायत निवारण प्रणाली) के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निवारण।
- **साइबर सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी ढाँचा:** स्टॉक एक्सचेंजों और मध्यस्थों के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश।
  - अनिवार्य प्रणाली ऑडिट और व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ (BCP)।

प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक 2025 (लोकसभा में)

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में प्रतिभूति बाज़ार संहिता विधेयक 2025 प्रस्तुत किया।
- यह विधेयक निम्नलिखित अधिनियमों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करता है:
  - प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) अधिनियम, 1992
  - डिपॉज़िटरी अधिनियम, 1996
- इसका उद्देश्य सिद्धांत-आधारित विधायी ढाँचा तैयार करना है ताकि अनुपालन भार कम हो, नियामक शासन सुधरे और प्रौद्योगिकी-प्रेरित प्रतिभूति बाज़ारों की गतिशीलता बढ़े।
- विधेयक का लक्ष्य निवेशक संरक्षण को सुदृढ़ करना और देश के वित्तीय बाज़ारों में व्यापार सुगमता को बढ़ाना है।
- कानूनों के एकीकरण और दंडों के तार्किकरण के माध्यम से यह भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धी वित्तीय बाज़ार बनाने के उद्देश्य का समर्थन करता है।

Source: TH

सोलहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंध में व्यक्त की गई चिंताएँ

संदर्भ

- सोलहवाँ वित्त आयोग ने बढ़ते उपकरों (सेस) तथा दक्षता और समानता के मध्य संतुलन को लेकर व्यक्त चिंताओं के बीच अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिससे प्रभावी कर-वितरण और समानीकरण के संबंध में प्रश्न उत्पन्न हुए।

वित्त आयोग क्या है?

- वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। यह आयोग यह अनुशंसा करता है कि केंद्र सरकार द्वारा संकलित कर-राजस्व का वितरण केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार किया जाए।
- आयोग का पुनर्गठन प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है और सामान्यतः अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में इसे लगभग दो वर्ष का समय लगता है।
- सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे तथा इसकी सिफारिशें 2026–27 से 2030–31 तक की पाँच-वर्षीय पुरस्कार अवधि को आवृत करती हैं।
  - केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है।

कर-वितरण

- वित्त आयोग यह निर्धारित करता है कि केंद्र के शुद्ध कर-राजस्व का कितना भाग समग्र रूप से राज्यों को जाएगा (ऊर्ध्वाधर वितरण) और राज्यों के लिए निर्धारित इस हिस्से का विभिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार विभाजन होगा (क्षैतिज वितरण)।

- राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण सामान्यतः आयोग द्वारा निर्मित एक सूत्र पर आधारित होता है, जिसमें राज्य की जनसंख्या, प्रजनन दर, आय स्तर, भौगोलिक स्थिति आदि कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
- हालाँकि, ऊर्ध्वाधर वितरण किसी ऐसे वस्तुनिष्ठ सूत्र पर आधारित नहीं होता।
- केंद्र सरकार संयुक्त रूप से वित्तपोषित योजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदानों के माध्यम से भी राज्यों की सहायता करती है।

सोलहवें वित्त आयोग के प्रमुख प्रावधान

- **ऊर्ध्वाधर वितरण:**
  - आयोग ने विभाज्य कर-समूह में राज्यों की हिस्सेदारी 41% पर यथावत बनाए रखी, जिसे जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात समायोजित किया गया था।
  - आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र को उपकरों और अधिभारों का एक पर्याप्त भाग साझा किए जाने योग्य करों में सम्मिलित करना चाहिए। तथापि, अत्यधिक उपकरों एवं अधिभारों को सीमित या चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के संबंध में कोई ठोस अनुशंसा नहीं की गई।
  - सोलहवें वित्त आयोग ने पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों—जैसे राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान तथा राज्य-विशिष्ट अनुदान—को समाप्त कर दिया है।
- **क्षैतिज वितरण:**
  - एक नवीन दक्षता-आधारित मानदंड प्रस्तुत किया गया। इसमें किसी राज्य के समस्त राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में उसके हिस्से के माध्यम से योगदान का आकलन किया गया। अत्यधिक प्रभावों को संतुलित करने हेतु प्रत्यक्ष GSDP के स्थान पर उसके वर्गमूल का उपयोग किया गया।
  - पूर्ववर्ती 'कर प्रयास/राजकोषीय अनुशासन' के मानदंड को समाप्त कर दिया गया।

सोलहवें वित्त आयोग से संबंधित चिंताएँ

- **उपकरों और अधिभारों पर:** उपकर और अधिभार विभाज्य कर-समूह का भाग नहीं होते। इनकी बढ़ती हिस्सेदारी राज्यों को होने वाले प्रभावी हस्तांतरण को कम करती है।
  - आयोग ने इस विषय पर अनुच्छेद 270 और 280 के अंतर्गत अपनी संवैधानिक भूमिका का सशक्त प्रतिपादन नहीं किया।
- **समानीकरण के अवसर का अभाव:** केवल वितरण-सूत्र भारत के विविध राज्यों के बीच लागत एवं आवश्यकताओं के अंतरों को पूर्णतः परिलक्षित नहीं कर सकते।
  - अनुच्छेद 275 विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सार्वजनिक सेवाओं के समानीकरण हेतु अनुदानों की व्यवस्था करता है।
  - राजस्व अंतर तथा राज्य-विशिष्ट अनुदानों की समाप्ति से समानीकरण की भूमिका कमजोर होती है।

निष्कर्ष

- यद्यपि सोलहवें वित्त आयोग ने 41% की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को संरक्षित रखा और योगदान-आधारित दक्षता मानदंड प्रस्तुत किया, तथापि इसने अनुदानों के दायरे को संकुचित कर दिया तथा उपकरों एवं अधिभारों के बढ़ते उपयोग के प्रश्न का निर्णायक समाधान प्रस्तुत नहीं किया।
- समानीकरण-उन्मुख अनुदानों से सूत्र-आधारित एवं प्रदर्शन-संबद्ध हस्तांतरण की ओर यह परिवर्तन समानता, राजकोषीय संतुलन और संघवाद की संवैधानिक भावना के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न करता है।

Source: TH

अमेरिका-इज़राइल-ईरान युद्ध

संदर्भ

- अमेरिका द्वारा *ऑपरेशन एपिक फ्यूरी* और इज़राइल द्वारा *ऑपरेशन रोअरिंग लायन* की शुरुआत के बाद भू-राजनीतिक परिदृश्य में मौलिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है।

समाचार के बारे में अधिक

- ईरान ने बहरीन, क़तर, यूएई, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल एवं ड्रोन हमलों के साथ प्रतिशोध किया।
- ईरान ने धमकियों और टैंकरों पर हमलों के माध्यम से होरमुज़ जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, जिससे शिपिंग यातायात में 70% की कमी आई है और वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने का जोखिम बढ़ गया है।

वर्तमान तनाव की पृष्ठभूमि

- **दीर्घकालिक शत्रुता एवं वैचारिक प्रतिद्वंद्विता:** 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान "शीत युद्ध" जैसी स्थिति में रहे हैं। इस संबंध को कठोर आर्थिक प्रतिबंधों एवं ईरान को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक घोषित करने से परिभाषित किया गया है।
- **परमाणु समझौते (JCPOA) का पतन:** 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका की 2018 में वापसी ने "अधिकतम दबाव" अभियान को जन्म दिया। ईरान ने धीरे-धीरे संवर्धन सीमाओं का उल्लंघन किया, जिससे अमेरिका और इज़राइल ने परमाणु-सशस्त्र ईरान को एक आसन्न अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा जिसे केवल कूटनीति से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था।

- **"ग्रे ज़ोन" और प्रॉक्सी वॉरफेयर:** वर्षों तक यह संघर्ष परोक्ष रूप से लड़ा गया। ईरान का "एक्सिस ऑफ़ रेज़िस्टेंस" (हमास, हिज़्बुल्लाह और हूथी) को समर्थन लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में उसके प्रभाव को बढ़ाता गया।

वैश्विक प्रभाव

- **ऊर्जा आघात एवं मुद्रास्फीति:** तेल की कीमतें अस्थिर स्तर से ऊपर जाने की संभावना। परिवहन और बीमा प्रीमियम में वृद्धि।
  - वैश्विक *स्टैगफ्लेशन* (धीमी वृद्धि + उच्च मुद्रास्फीति) का जोखिम।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान:** तेल, एलएनजी, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल प्रभावित। शिपिंग लंबे मार्गों से मोड़ी गई जिससे मालभाड़ा लागत बढ़ी।
- **चीन और रूस कारक:** चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। रूस ऊँची तेल कीमतों से लाभान्वित हो सकता है।

भारत पर प्रभाव

- **ऊर्जा मुद्रास्फीति:** भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है, "युद्ध अधिभार" और बढ़ती तेल कीमतें रुपये पर भारी दबाव डाल रही हैं।
- **प्रवासी सुरक्षा:** खाड़ी क्षेत्र में 80–90 लाख भारतीयों की उपस्थिति के कारण मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति (CCS) ने बड़े पैमाने पर निकासी पर चर्चा की है क्योंकि क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित की जा रही हैं।
- **व्यापार व्यवधान:** कृषि उत्पादों का निर्यात और आवश्यक उर्वरकों का आयात समुद्री असुरक्षा के कारण जोखिम में है।
- **रणनीतिक संपर्क:** चाबहार बंदरगाह (ईरान) मध्य एशिया तक पहुँच के लिए; I2U2 (भारत-इज़राइल-यूएई-अमेरिका समूह); IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर); खाड़ी साझेदारियाँ (यूएई, सऊदी अरब) और इज़राइल संबंध।

भारत के लिए आगे का मार्ग

- ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका)।
- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करना।
- ईरान के सभी गुटों के साथ कूटनीतिक संवाद।
- अरब सागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना।
- प्रवासियों की सुरक्षा हेतु आकस्मिक योजना।
- बहुपक्षीय मंचों (संयुक्त राष्ट्र, SCO, BRICS) के माध्यम से युद्धविराम के लिए प्रयास।

पश्चिम एशिया एवं वैश्विक राजनीति में इसका महत्व

- पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) एशिया का एक उपक्षेत्र है जो पश्चिम में यूरोप, उत्तर में मध्य एशिया, पूर्व में दक्षिण एशिया और दक्षिण में अफ्रीका एवं अरब सागर से घिरा है।
- पश्चिम एशिया में सामान्यतः आर्मेनिया, अज़रबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ईरान, ओमान, फ़िलिस्तीन, क़तर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं।
- यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि:
  - ऊर्जा संसाधन (तेल एवं गैस भंडार);
  - प्रमुख समुद्री मार्ग: होरमुज़ जलडमरूमध्य, बाब-एल-मंदेब, स्वेज़ नहर;
  - धार्मिक महत्व (यरूशलेम, मक्का, मदीना);
  - एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला भू-रणनीतिक स्थान;
  - प्रमुख बाहरी शक्तियों की भागीदारी (अमेरिका, रूस, चीन)।
- वर्तमान में यह क्षेत्र संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसमें शक्ति पुनर्संरेखण, प्रॉक्सी युद्ध और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा शामिल है।

Source: IE

संबद्ध क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण एवं बाज़ार अभिगम के सशक्तीकरण

संदर्भ

- भारत की कृषि प्रगति को पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन जैसे सहयोगी क्षेत्रों के विस्तार से लगातार समर्थन मिल रहा है।

भारत में सहयोगी क्षेत्र

- सहयोगी कृषि गतिविधियों में पशुपालन और मत्स्य पालन ने लगभग 5–6% की अपेक्षाकृत स्थिर वृद्धि दर प्रदर्शित की है।
- वित्त वर्ष 2015 से 2024 के बीच इस क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (GVA) लगभग 195% बढ़ा, जो वर्तमान मूल्यों पर 12.77% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।

- **डेयरी नेटवर्क में शामिल हैं:**
  - 22 दुग्ध महासंघ, 241 जिला संघ, 28 विपणन डेयरियाँ,
  - 25 दुग्ध उत्पादक संगठन (MPOs), जो लगभग 2.35 लाख गाँवों और 1.72 करोड़ किसान-सदस्यों को कवर करते हैं।
  - भारत 2028–29 तक प्रतिदिन 10 करोड़ लीटर दूध प्रसंस्करण क्षमता के नियोजित विस्तार के माध्यम से मूल्य संवर्धन को सुदृढ़ कर रहा है।

भारत के सहयोगी क्षेत्र का महत्व

- **किसानों की आय में वृद्धि:** यह मौसमी फसल कृषि के विपरीत पूरक और नियमित आय प्रदान करता है। इससे मानसून-निर्भर फसल उत्पादन पर निर्भरता कम होती है।
- **कृषि GVA में प्रमुख योगदानकर्ता:** सहयोगी क्षेत्र कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 40% से अधिक योगदान करते हैं।
  - केवल पशुपालन क्षेत्र ही कृषि-GVA में लगभग 30% योगदान देता है, जिससे यह उच्च-विकास खंड बनता है।
- **रोज़गार सृजन:** डेयरी, मत्स्य पालन और पोल्ट्री जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र बड़े पैमाने पर ग्रामीण रोज़गार उत्पन्न करते हैं।
- **महिला सशक्तिकरण:** डेयरी, पोल्ट्री और छोटे पशुपालन में महिलाओं की उच्च भागीदारी स्व-सहायता समूहों (SHGs) एवं ग्रामीण उद्यमिता को सुदृढ़ करती है, विशेषकर अमूल जैसे सहकारी मॉडल के अंतर्गत।
- **पोषण सुरक्षा:** यह प्रोटीन-समृद्ध खाद्य (दूध, अंडे, मछली, मांस, शहद) प्रदान करता है और कुपोषण को संबोधित करते हुए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा लक्ष्यों का समर्थन करता है।
- **निर्यात क्षमता:** भारत दूध और मछली के वैश्विक शीर्ष उत्पादकों में से एक है। समुद्री निर्यात विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

चिंताएँ

- **कम उत्पादकता:** भारत में प्रति पशु दूध उत्पादन वैश्विक औसत से कम है।
  - मत्स्य पालन और पशुपालन की उत्पादकता कमजोर नस्ल गुणवत्ता एवं सीमित वैज्ञानिक प्रबंधन के कारण प्रभावित होती है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और परिवहन सुविधाएँ।
- **रोग प्रकोप:** लम्पी स्किन डिज़ीज़ और एवियन इन्फ्लुएंज़ा जैसी बार-बार होने वाली पशुधन बीमारियाँ, कमजोर पशु-चिकित्सा ढाँचे एवं सीमित बीमा कवरेज के साथ किसानों की संवेदनशीलता बढ़ाती हैं।
- **ऋण एवं बीमा बाधाएँ:** छोटे और सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक सीमित पहुँच।

- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** तटीय मत्स्य पालन चक्रवातों, समुद्र-स्तर वृद्धि और महासागर के गर्म होने के प्रति संवेदनशील है।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** अत्यधिक मछली पकड़ना और समुद्री संसाधनों का क्षय तथा पशुधन से मीथेन उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैसों में योगदान करते हैं।

सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय पशुधन मिशन:** पशुधन-आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देता है, नस्ल उत्पादकता में सुधार करता है और मांस, अंडे, दूध एवं चारे के उत्पादन को बढ़ाता है।
- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** स्वदेशी गोवंश नस्लों के संरक्षण, दूध उत्पादकता में वृद्धि और ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभकारी बनाने पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP):** फुट एंड माउथ डिज़ीज़ (FMD) और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने हेतु गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं सूअर का 100% टीकाकरण।
- **केंद्रीय बजट 2026-27:** मत्स्य पालन के लिए ₹2,761.80 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन, जो ब्लू रेवोल्यूशन के अंतर्गत सतत निवेश को सुदृढ़ करता है।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** मत्स्य विकास को बुनियादी ढाँचे, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण के माध्यम से बढ़ावा देती है ताकि उत्पादन, निर्यात, रोज़गार एवं मछुआरों की आय में वृद्धि हो।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY):** PMMSY की उप-योजना, जो बीमा, ऋण, प्रदर्शन प्रोत्साहन और ट्रेसबिलिटी के माध्यम से क्षेत्र का औपचारिककरण करती है ताकि आय सुरक्षा एवं स्थिरता में सुधार हो।
- **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM):** 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास हेतु शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका लक्ष्य "स्वीट रेवोल्यूशन" है।
- **मिशन-आधारित जलाशय विकास एवं मत्स्य मूल्य श्रृंखला विस्तार:** भारत के पास लगभग 31.5 लाख हेक्टेयर में फैला विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलाशय नेटवर्क है, जो अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विस्तार की महत्वपूर्ण क्षमता प्रस्तुत करता है।
- **मिशन अमृत सरोवर:** भारत सरकार ने 68,827 अमृत सरोवरों का विकास किया है, जिनमें से 1,222 जल निकाय मत्स्य गतिविधियों से एकीकृत हैं, जिससे मछली संस्कृति, आजीविका विविधीकरण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन हुआ है।

निष्कर्ष

- कृषि और सहयोगी क्षेत्र केवल खाद्य उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे भारत की आर्थिक लचीलापन, सामाजिक समानता और पारिस्थितिकीय स्थिरता की रीढ़ हैं।
- इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करना सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति, समावेशी विकास सुनिश्चित करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

Source: PIB

मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका-नेतृत्व वाले गठबंधन (जिसमें इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं) तथा ईरान के बीच नवीनीकृत शत्रुता ने पश्चिम एशिया में हाल ही में एकीकृत क्षेत्रीय वायु एवं मिसाइल रक्षा नेटवर्क की परीक्षा ली है।

मिसाइल रक्षा प्रणाली क्या है?

- मिसाइल रक्षा एक एकीकृत सैन्य प्रणाली है, जिसका उद्देश्य आने वाली मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुँचने से पहले पहचानना, ट्रैक करना, रोकना और नष्ट करना है, ताकि नागरिक आबादी, सैन्य प्रतिष्ठानों एवं महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा की जा सके।
- यह प्रणाली उपग्रहों, राडारों, कमांड केन्द्रों और इंटरसेप्टर मिसाइलों के नेटवर्क पर आधारित होती है, जो वास्तविक समय में मिलकर खतरे को निष्क्रिय करते हैं।

- आधुनिक मिसाइल रक्षा संरचना परतदार (layered) होती है, जिससे मिसाइल को उसके उड़ान के विभिन्न चरणों में रोकने के लिए अनेक अवसर निर्मित होते हैं।

इंटरसेप्टर कैसे कार्य करता है?

- इंटरसेप्टर एक रक्षात्मक मिसाइल है, जिसे आने वाले खतरे को नष्ट करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। इसका संचालन कई समन्वित चरणों में होता है:
  - **पता लगाना (Detection):** उपग्रह मिसाइल के प्रक्षेपण का पता लगाते हैं, और राडार उसकी गति, दिशा, ऊँचाई तथा संभावित प्रभाव बिंदु को ट्रैक करते हैं।
  - **निर्णय (Decision):** कमांड केन्द्र में डेटा का विश्लेषण कर खतरे का आकलन किया जाता है और इंटरसेप्टर दागने का निर्णय लिया जाता है।
  - **प्रक्षेपण एवं मार्गदर्शन (Launch and Guidance):** इंटरसेप्टर को दागा जाता है और राडार अपडेट्स के माध्यम से उसे लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है।
  - **विनाश (Destruction):** इंटरसेप्टर लक्ष्य को या तो निकट विस्फोट (proximity fuse) द्वारा या सीधे उच्च गति की टक्कर (hit-to-kill) से नष्ट करता है।
  - **मूल्यांकन (Assessment):** राडार विनाश की पुष्टि करता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त इंटरसेप्टर दागे जाते हैं।

भारत की मिसाइल रक्षा संरचना

- **बहु-स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) प्रणाली – DRDO के अंतर्गत:**
  - **पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD):** 50 किमी से 180 किमी ऊँचाई पर आने वाली मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर (exo-atmospheric) रोकने हेतु विकसित।
  - **एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD):** पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर (endo-atmospheric) अंतिम चरण में 30 किमी तक की ऊँचाई पर खतरे को निष्क्रिय करने हेतु।
- **परतदार वायु रक्षा कवच (Layered Air Defence Shield):**
  - **लंबी दूरी (Long-Range):** रूस निर्मित **S-400 ट्रायम्फ** प्रणाली, जिसे भारत ने मोबाइल सतह-से-आकाश मिसाइल (SAM) के रूप में शामिल किया है।
  - **मध्यम दूरी (70–100 किमी):** भारत-इज़राइल द्वारा सह-विकसित **बराक-8 (MRSAM/ LRSAM)**, जो भूमि और नौसैनिक परिसंपत्तियों को 360-डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है।
  - **लघु दूरी (25–50 किमी):** स्वदेशी **आकाश प्रणाली** तथा इज़राइल की **SPYDER** प्रणाली, जो सामरिक स्थलों और मोबाइल सेना इकाइयों की रक्षा करती हैं।
- **मिशन सुदर्शन चक्र:** भारत द्वारा 2035 के लिए घोषित **मिशन सुदर्शन चक्र** एक व्यापक दृष्टि है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम, सर्वव्यापी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का निर्माण करना है।

अन्य देशों की प्रमुख वायु-रक्षा प्रणालियाँ

देश/क्षेत्र	प्रमुख प्रणालियाँ
रूस	एस-400 ट्रायम्फ, एस-300वीएम, एस-350 वाइटाज़, एस-500 प्रोमेथियस
यूएसए	THAAD, पैट्रियट (PAC-3 MSE), गोल्डन डोम (डेवलपमेंट में)
इज़राइल	आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग, आयरन बीम
चीन	HQ-9, HQ-22, HQ-16
यूरोपीय स्काई शील्ड पहल (ESSI)	स्काईरेंजर, आईरिस-टी एसएलएम

चुनौतियाँ

- **अत्यधिक लागत:** मिसाइल इंटरसेप्टर अत्यंत महंगे होते हैं, जिनकी प्रति इकाई लागत लाखों डॉलर तक होती है। इससे तब असमानता उत्पन्न होती है जब उनका

सामना अपेक्षाकृत सस्ती आक्रामक मिसाइलों से होता है।

- **सैचुरेशन हमले:** बड़ी संख्या में मिसाइलों और ड्रोन के प्रयोग से रक्षा प्रणालियाँ अभिभूत हो सकती हैं।
- **हाइपरसोनिक हथियार:** उच्च गति और गतिशीलता वाले हाइपरसोनिक हथियारों के कारण अवरोधन की संभावना कम हो जाती है।

आगे की राह

- मिसाइल रक्षा प्रणालियाँ आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना का अनिवार्य अंग बन चुकी हैं। यद्यपि कोई भी प्रणाली पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, परंतु बहु-स्तरीय अवरोधन क्षमता रक्षा की दृढ़ता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती है।
- भारत के लिए दीर्घकालिक सामरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निम्न बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे:
  - स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणालियों का विकास।
  - उन्नत सेंसरों का एकीकरण।
  - घरेलू विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना।
- यह सब एक ऐसे सुरक्षा वातावरण में आवश्यक है जो दिन-प्रतिदिन मिसाइल-केंद्रित होता जा रहा है।

Source: TH

वैश्विक स्वास्थ्य महाशक्ति के रूप में भारत का रूपांतरण

संदर्भ

- भारत दूरदर्शी शासन, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और सुदृढ़ अवसंरचना के माध्यम से एक वैश्विक स्वास्थ्य नेता के रूप में उभर रहा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक समृद्ध **विकसित भारत** का निर्माण है।

भारत की स्वास्थ्य सेवा की वर्तमान स्थिति

- भारत सुदृढ़ सरकारी नेतृत्व, विस्तृत स्वास्थ्य अवसंरचना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर ध्यान केंद्रित करके एक वैश्विक स्वास्थ्य महाशक्ति के रूप में उभरा है।
- प्रमुख योजनाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ और रियायती दवाएँ प्रदान करती हैं, ताकि सभी को, विशेषकर कमजोर वर्गों को, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके।

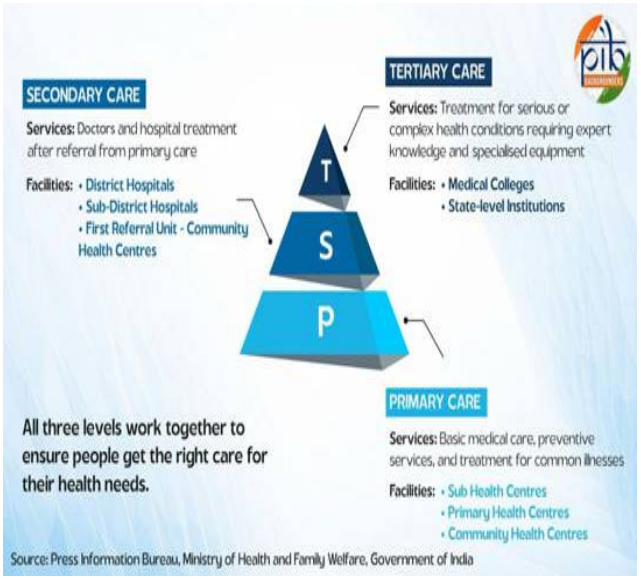

- देश की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
- भारत का औषधि क्षेत्र (वॉल्यूम के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा) सस्ती दवाएँ विश्वभर में उपलब्ध कराता है, जिसमें COVID-19 टीके भी शामिल हैं।
- तीव्र गति से बढ़ता बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग सार्वजनिक निवेश और निजी नवाचार से समर्थित है।
  - **मेडिकल टूरिज़्म** में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है: 2009 में लगभग 1,12,000 आगंतुकों से बढ़कर 2024 में 6,00,000 से अधिक।
  - इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु **केंद्रीय बजट 2026–27** में पाँच एकीकृत मेडिकल हब की घोषणा की गई है, जिनमें उन्नत डायग्नोस्टिक्स और पुनर्वास सेवाएँ शामिल होंगी।

कदम और प्रगति

- **आयुष्मान भारत (AB) योजना** – सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हेतु भारत की प्रमुख पहल, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर जनसंख्या को लक्षित करती है। इसमें चार प्रमुख घटक हैं:
  - **AB-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक

की कवरेज, 12 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ, 43.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी।

- बजट 2026–27 में कवरेज विस्तार और सेवाओं में सुधार हेतु ₹9,500 करोड़ (~$1.05 बिलियन USD) आवंटित।

- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAMs):** उन्नत उप-स्वास्थ्य एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जो समुदायों के निकट निवारक, प्रोत्साहक और सामान्य स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  - देशभर में 1,84,235 AAMs, जिनमें आदिवासी और आकांक्षी जिलों में व्यापक कवरेज।
  - टेली-परामर्श, योग सहित वेलनेस कार्यक्रम, तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख एवं स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग।
- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM):** बुनियादी स्तर से जिला स्तर तक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करता है।
  - इसमें AAMs, ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ, एकीकृत जिला प्रयोगशालाएँ और क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक शामिल।
  - महामारी तैयारी हेतु वास्तविक समय रोग निगरानी प्रणाली का विकास।
  - 2021–26 के लिए ₹32,928.82 करोड़ (~$3.63 बिलियन USD) स्वीकृत।
- **आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM):** नागरिक-केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र।
  - प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट स्वास्थ्य ID (ABHA) प्रदान, जिसमें सुरक्षित रूप से चिकित्सा अभिलेख संग्रहीत।
  - 86.3 करोड़ से अधिक ABHA IDs निर्मित।
  - टेली-परामर्श एवं अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध।
  - **Tele MANAS:** बहुभाषी 24x7 मानसिक स्वास्थ्य सहायता।
- **ड्रोन-आधारित चिकित्सा सेवाएँ (i-DRONE):** दूरस्थ एवं उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में टीके, TB एवं पैथोलॉजिकल नमूने, रक्त उत्पाद और अन्य आवश्यक आपूर्ति पहुँचाने हेतु पायलट परियोजनाएँ।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):** ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य मिशन सहित, रोग-निवारण, मातृ एवं शिशु देखभाल, किशोर स्वास्थ्य, संक्रामक/असंक्रामक रोग प्रबंधन को सुदृढ़ करता है।
  - **UIP:** ~2.67 करोड़ नवजात शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीके।
  - **HPV टीकाकरण (2026):** 14 वर्षीय लड़कियों हेतु एकल-खुराक गार्डासिल-4, ~1.15 करोड़ लड़कियों को कवर।
  - **मिशन इंद्रधनुष:** छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित। शून्य-खुराक बच्चों में कमी: 0.11% (2023) से 0.06% (2024)।
- **उपलब्धियाँ एवं अवसंरचना**
  - **COVID-19:** 2.2 अरब खुराकें प्रशासित।
  - **मातृ मृत्यु अनुपात:** 1990 से 83% कमी।
  - **5 वर्ष से कम आयु मृत्यु दर:** 1990 से 75% कमी।
  - **TB घटनाएँ:** 2015–2023 में 237 से घटकर 195 प्रति 100,000।
  - डायलिसिस, सिकल सेल स्क्रीनिंग, खसरा-रूबेला टीकाकरण और तंबाकू नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति।
- **AI एकीकरण (SAHI 2026):**
  - TB, डायबिटिक आई स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन में पूर्वानुमान विश्लेषण।
  - स्वास्थ्य सेवा वितरण में दक्षता और सक्रिय देखभाल।
- **सस्ती दवाएँ:**
  - **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP):** 17,990 आउटलेट्स, 2,000+ दवाएँ 50–90% कम कीमत पर, ~₹30,000 करोड़ (~$3.31B USD) की बचत।

- **AMRIT फार्मेसी:** तृतीयक देखभाल दवाओं और शल्य उत्पादों पर केंद्रित; 255 आउटलेट्स।
- **फार्मास्यूटिकल एवं बायोफार्मा नेतृत्व:**
  - भारत: विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि उत्पादक।
  - वैश्विक जेनेरिक्स का 20% और एंटी-रेट्रोवायरल्स का 70% आपूर्ति।
- **बायोफार्मा शक्ति एवं राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन:** घरेलू बायोलॉजिक्स, क्लिनिकल ट्रायल्स और नवाचार को बढ़ावा।
  - उदाहरण: पहला DNA COVID टीका ZyCoV-D, MRI स्कैनर, बायोसिमिलर्स।
- **स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार:**
  - 23 AIIMS संस्थान, 2,045 मेडिकल कॉलेज (780 एलोपैथी, 323 डेंटल, 942 आयुष)।
  - MBBS सीटें 130% वृद्धि (51,348 → 1,18,190)।
  - स्नातकोत्तर सीटें 138% वृद्धि (31,185 → 74,306)।

चुनौतियाँ

- सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय GDP का 2% से कम, जबकि बार-बार आवंटन बढ़ाने की प्रतिबद्धता।
- **अवसंरचना एवं कार्यबल की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल बेड, उपकरण, प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स की कमी।
- शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य असमानता।
- निजी क्षेत्र का प्रभुत्व, जिसके कारण उच्च आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय।
- मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसे बढ़ते असंक्रामक रोग स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव डाल रहे हैं।

निष्कर्ष

- सरकारी पहल, डिजिटल नवाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय रूपांतरण हुआ है, जिससे पहुँच एवं वहनीयता में सुधार हुआ है।
- फिर भी, वित्तपोषण, अवसंरचना और समानता की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सार्वभौमिक एवं सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने हेतु सतत निवेश आवश्यक है।

Source :PIB

प्रधानमंत्री द्वारा भारत के प्रथम सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में भारत की प्रथम सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन किया।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- यह सेमीकंडक्टर संयंत्र अमेरिकी चिप निर्माता **माइक्रोन टेक्नोलॉजी** द्वारा स्थापित किया गया है।
- इसे **असेंबली, परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग (ATMP)** सुविधा के रूप में ₹22,516 करोड़ के निवेश से साणंद, गुजरात में स्थापित किया गया है।
- यह संयंत्र मेमोरी और स्टोरेज उत्पादों का निर्माण करेगा, जिनमें शामिल हैं:
  - **DRAM (डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी)**
  - **NAND फ्लैश मेमोरी**
  - **SSD (सॉलिड स्टेट ड्राइव)** स्टोरेज उपकरण
- भारत ने **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम** के अंतर्गत 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।
- Micron संयंत्र के अतिरिक्त, बहुत जल्द नोएडा (उत्तर प्रदेश), असम, ओडिशा और पंजाब में तीन अन्य संयंत्र उत्पादन प्रारंभ करेंगे।

भारत के लिए महत्व

- **आत्मनिर्भर भारत सुरक्षण:** यह परियोजना भारत की सेमीकंडक्टर पर 100% आयात निर्भरता को सीधे संबोधित करती है (विशेषकर चीन, ताइवान और दक्षिण कोरिया पर निर्भरता)। इससे घरेलू क्षमताओं का निर्माण, आयात बिल में कमी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **सप्लाई चेन लचीलापन:** यह परियोजना अमेरिका-चीन व्यापार तनाव या महामारी जैसी बाधाओं से बचाव प्रदान करती है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैकएंड प्रक्रियाएँ स्थानीय स्तर पर होंगी।

- **रणनीतिक क्षेत्र:** रक्षा (मिसाइल, राडार), दूरसंचार (5G/6G नेटवर्क), कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (ISRO उपग्रह) और डिजिटल अर्थव्यवस्था (डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन) को शक्ति प्रदान करेगी।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:**
  - 5,000+ प्रत्यक्ष उच्च-कौशल रोजगार (इंजीनियर, तकनीशियन) और 15,000+ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
  - भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का 5–10% हिस्सा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

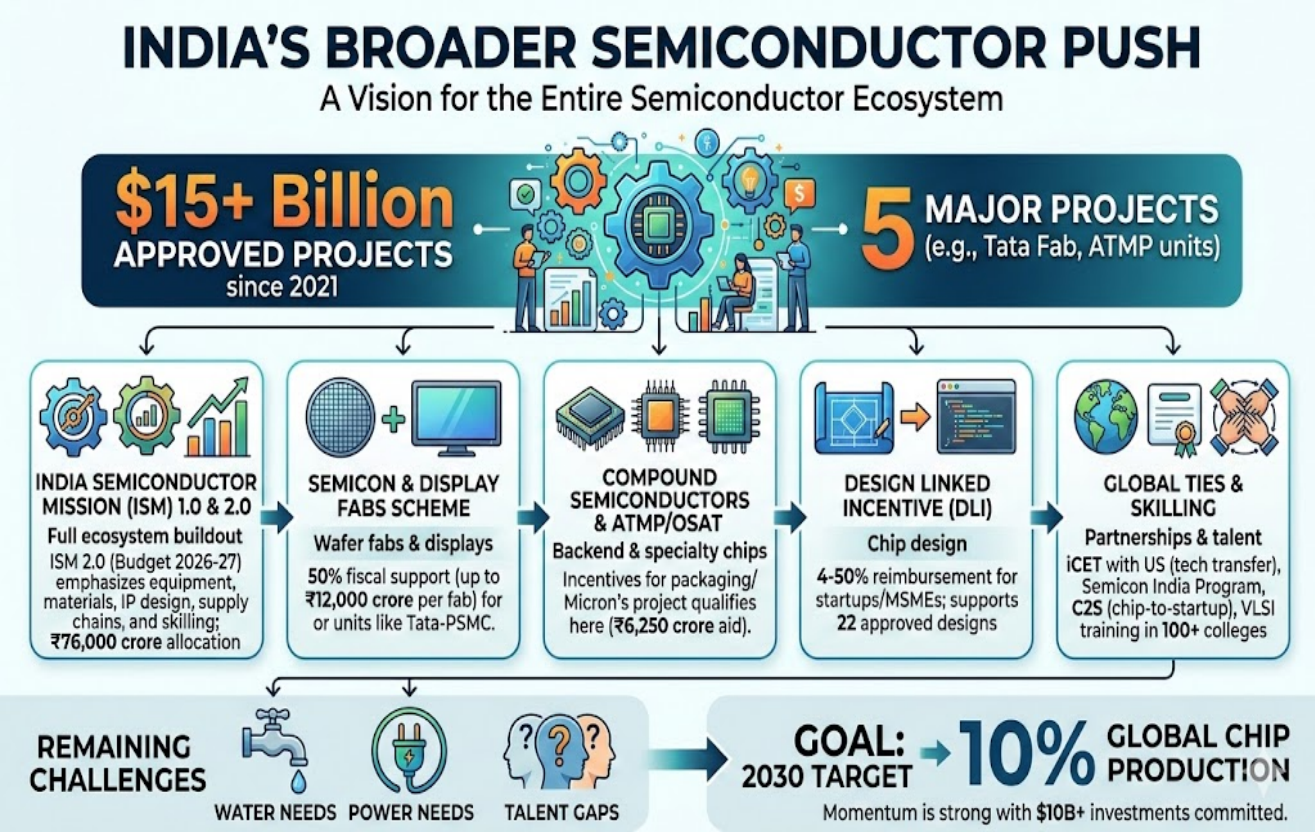

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

श्री गुरु तेग बहादुर

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष (शहीदी समागम) को संबोधित किया, उनके बलिदान को श्रद्धांजलि दी और भारत की वीरता, सद्भाव तथा सामाजिक एकता की विरासत को रेखांकित किया।

गुरु तेग बहादुर

- **जन्म:** 1621, अमृतसर; पिता – गुरु हरगोबिंद (छठे सिख गुरु)।
- **मूल नाम:** त्याग मल, उनके तपस्वी स्वभाव के कारण।
- शास्त्रों एवं युद्धकला में प्रशिक्षित।
- 13 वर्ष की आयु में युद्ध में वीरता दिखाने पर नाम मिला "तेग बहादुर" (तलवार का वीर)।
- बकाला में वर्षों तक ध्यान साधना की, तत्पश्चात 1664 में व्यापारी मखान शाह द्वारा पहचाने जाने पर नवें सिख गुरु बने।
- उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें "हिंद दी चादर" की उपाधि दी — भारत की अंतरात्मा और धर्म के रक्षक।

योगदान

- चक नांकी (वर्तमान आनंदपुर साहिब) की स्थापना।
- उत्तर और पूर्व भारत में व्यापक यात्राएँ कर निडरता (निर्भय), समानता और एक ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया।
- औरंगज़ेब के शासनकाल में धार्मिक तनाव और जबरन धर्मांतरण के समय उनका संदेश व्यापक रूप से गूँजा।
- कश्मीरी ब्राह्मणों के उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होकर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की।

मृत्यु

- दिल्ली में गिरफ्तार किए गए और इस्लाम स्वीकार करने से मना करने पर 1675 में चाँदनी चौक पर सार्वजनिक रूप से अपने साथियों सहित शहीद कर दिए गए।
- उनका बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च त्याग के रूप में स्मरण किया जाता है।

स्रोत: PIB

नियंत्रक महालेखाकार

समाचार में

- नियंत्रक महालेखाकार (CGA) ने सरकारी बैंक डैशबोर्ड और सरकारी बैंक मैनुअल का शुभारंभ किया, ताकि सरकारी लेन-देन संभालने वाले बैंकों की सुशासन एवं दक्षता को सुदृढ़ किया जा सके।

नियंत्रक महालेखाकार (CGA)

- वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत।
- भारत सरकार के प्रमुख लेखा सलाहकार।
- तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और रखरखाव की जिम्मेदारी।
- मासिक और वार्षिक सरकारी व्यय, राजस्व, उधारी और प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का विश्लेषण तैयार करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत संसद को वार्षिक विनियोग लेखा (नागरिक) और संघ वित्त लेखा प्रस्तुत करता है।
- "अकाउंट्स एट अ ग्लांस' नामक MIS रिपोर्ट तैयार कर संसद सदस्यों को वितरित करता है।

स्रोत: PIB

मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक की अध्यक्षता की।

CCS के बारे में

- भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मामलों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था।
- **अध्यक्षता:** प्रधानमंत्री।
- **सदस्य:** गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री।
  - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) सचिव-स्तरीय समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं।

प्रमुख कार्य

- **रक्षा और सुरक्षा:** आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा चुनौतियों का समाधान, सैन्य रणनीतियाँ और खुफिया संचालन।
- **विदेश नीति:** राजनयिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग।
- **परमाणु एवं अंतरिक्ष नीति:** परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय।
- **महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ:** रक्षा और खुफिया एजेंसियों में उच्च-स्तरीय नियुक्तियों को स्वीकृति।

स्रोत: AIR

नारियल प्रोत्साहन योजना

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026–27 में 'नारियल प्रोत्साहन योजना' की घोषणा की गई।

परिचय

- **उद्देश्य:** पुरानी, अनुपयोगी बागानों को उच्च उत्पादकता वाले नारियल किस्मों से पुनर्जीवित करना और तटीय क्षेत्रों में नए बागानों की स्थापना।
- नारियल विकास बोर्ड (CDB) पहले से ही इसी प्रकार की योजना लागू कर रहा है, जिससे पुराने बागानों का

पुनरुद्धार हुआ है और गुजरात, असम तथा अन्य गैर-प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में खेती का विस्तार हुआ है।

नारियल उत्पादन

- भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक और उपभोक्ता है।
- **पौधे का प्रकार:** नारियल एक बहुवर्षीय बागान फसल है और परिवार **एरेकेसी** की एक एकबीजपत्री पाम है।
- **उत्पत्ति:** नारियल इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का मूल निवासी है, जिसकी उत्पत्ति सामान्यतः दक्षिण-पूर्व एशिया से मानी जाती है।
- **जलवायु आवश्यकताएँ:** नारियल को गर्म आर्द्र आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। 25°C से 30°C तापमान और उच्च, समान रूप से वितरित वर्षा में इसका सर्वोत्तम विकास होता है।
- **मृदा आवश्यकताएँ:** अच्छी जल-निकासी वाली बलुई दोमट, जलोढ़, लेटराइट और तटीय मृदा में नारियल अच्छी तरह उगता है।
- **भारत में वितरण:** मुख्यतः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा और पश्चिम बंगाल में।
  - भारत का नारियल उत्पादन लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का समर्थन करता है, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल हैं।

स्रोत: TH

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने मनाया 25वाँ स्थापना दिवस

संदर्भ

- भारत हैबिटेट सेंटर में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) का 25वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।

परिचय

- भारत सरकार ने **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के प्रावधानों के अंतर्गत 2002 में BEE की स्थापना की।
- **मिशन:** नीतियों और रणनीतियों के विकास में सहयोग करना, जिनका मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है।
- यह सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त होगा, जिससे सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता का तीव्र और सतत् अपनाना सुनिश्चित होगा।

प्रमुख कार्यक्रम एवं पहल

- **स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग(S&L) योजना:** उपकरणों (जैसे रेफ्रिजरेटर, AC) पर स्टार-रेटिंग लेबल प्रदान कर उपभोक्ताओं को ऊर्जा दक्षता और बचत की जानकारी।
- **परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT):** राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (NMEEE) के अंतर्गत एक बाजार-आधारित तंत्र, जो बड़े ऊर्जा-गहन उद्योगों को दक्षता लक्ष्य पूरा करने हेतु प्रोत्साहित करता है।
- **एनर्जी कंज़र्वेशन बिल्डिंग कोड्स (ECBC):** ऊर्जा दक्ष भवन डिज़ाइन हेतु दिशानिर्देश।
- **ADEETIE योजना:** MSMEs को ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने में तकनीकी और वित्तीय सहायता।
- **राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA):** ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु वार्षिक सम्मान।

स्रोत: PIB

चावल सुदृढ़ीकरण योजना निलंबित

समाचार में

- भारत सरकार ने **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)** और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चावल सुदृढ़ीकरण को समीक्षा के बाद अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

- COVID-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रारंभ।
- NFSA के अंतर्गत पहचाने गए परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण।

चावल सुदृढ़ीकरण

- इसमें **लोहा, फोलिक एसिड और विटामिन B12** जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को जोड़ा जाता है।

- यह पोषण समस्या का अल्पावधि में समाधान करने हेतु प्रभावी, निवारक और किफायती रणनीति है।
- तकनीकें: **कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूज़न**।
- भारत के लिए एक्सट्रूज़न सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
- इस विधि में चावल के आटे को सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रीमिक्स और पानी के साथ मिलाकर **ट्विन-स्क्रू एक्सट्रूडर** से प्रोसेस किया जाता है, जिससे सामान्य चावल जैसे दिखने वाले **फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRKs)** तैयार होते हैं।
- यह भारत जैसे देशों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने का सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और किफायती तरीका है।

नवीनतम निलंबन

- IIT खड़गपुर द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि FRK और **फोर्टिफाइड राइस** की शेल्फ लाइफ और स्थिरता नमी, तापमान, भंडारण स्थिति, आर्द्रता और पैकेजिंग जैसे कारकों से प्रभावित होती है।
- 2–3 वर्षों तक लंबे भंडारण और हैंडलिंग प्रथाओं से सूक्ष्म पोषक तत्वों की हानि होती है, जिससे अपेक्षित पोषण लाभ कम हो जाते हैं।

स्रोत: PIB

■■■■